(ख) क्या सरकार इस मामले की तत्काल जांच करने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) नालन्दा जिले के अधिकांश गांवों में पेयजल के उपलब्ध न होने के बारे में बिहार सरकार अथवा किसी अन्य से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । बिहार में सभी समस्याग्रस्त गांवों में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास की योजनाएं

1335. **श्री गया सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास हेतु कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) बिहार सरकार तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इनमें से अलग-अलग रूप से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा बिहार के नालंदा जिला सहित सभी ग्रामीण जिलों में चलाए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम हैं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा दी गई सबसिडी और बैंक ऋण की सहायता से आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर चयन किए गए गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है । जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य पूरक मजदूरी रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजित करना है । जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा निचले स्तर पर खण्डों/ग्राम पंचायतों द्वारा इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के नालंदा जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि	
	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना
1989-90	112.76	639.36
1990-91	78.74	568.57
1991-92	112.43	495.93
1992-93	53.05	480.24

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं । त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का जिलावार आबंटन उनकी राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है । वर्ष 1989-90 से 1992-93 के दौरान बिहार को कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई राशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि
1989-90	2712
1990-91	2033
1991-92	3132
1992-93	1847